

महिला सशक्तिकरण के लिए गैर सरकारी संगठनों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में विश्लेषण करना

गुड़िया कुमारी^{1*} एवं डॉ कविता सिंह²

¹शोध छात्र, हिंदी विभाग, सनराइज यूनिवर्सिटी, अलवर, राजस्थान

²शोध पर्यवेक्षक, सनराइज यूनिवर्सिटी, अलवर, राजस्थान

अमूर्त

महिला सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वंचित महिलाओं की व्यक्तिगत और समूह दोनों के रूप में वर्तमान शक्ति समीकरणों को चुनौती देने और संशोधित करने की क्षमता में सुधार करती है ताकि पुरुषों के सापेक्ष उनकी निम्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति समाप्त हो जाए और उन्हें पुरुषों के बराबर लाया जा सके।

कीवर्ड: महिला, सशक्तिकरण, महिलाओं, व्यक्तिगत, समूह।

परिचय

महिला सशक्तिकरण का अर्थ है समाज की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं में समान भागीदार के रूप में भाग लेने की उनकी क्षमता। भले ही विश्व अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था में विकसित हो गई है, लेकिन विकसित और विकासशील दोनों देशों में महिलाओं को पीढ़ियों से जीवन के सभी क्षेत्रों में दबाया गया है। महिला सशक्तिकरण कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है। यह एक निश्चित संबंध में समाज के सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों में क्रांतिकारी बदलाव की मांग करता है। अमेरिका और पश्चिमी देशों में महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य तुलनात्मक रूप से विकासशील देशों की तुलना में बहुत अधिक है। फिर भी लैंगिक पूर्वाग्रह और मान्यताएँ दुनिया भर में महिला सशक्तिकरण के विकास में मुख्य बाधा के रूप में काम कर रही हैं। भारत में भी, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाले विभिन्न कानूनों के बावजूद, लैंगिक असमानताएँ दुनिया में सबसे अधिक हैं।

महिला सशक्तिकरण की बात करें तो सरल शब्दों में कहें तो यह एक ऐसा माहौल तैयार करना है, जहां महिलाएं अपने व्यक्तिगत विकास के बारे में स्वतंत्र निर्णय ले सकें और साथ ही समाज में बराबरी का दर्जा पा सकें। महिलाएं चाहती हैं कि उनके साथ बराबरी का व्यवहार किया जाए, इतना कि अगर कोई महिला अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचती है तो यह एक सामान्य घटना होनी चाहिए, जिस पर लिंग के प्रति लोगों की भौंहें तन जाती हैं। यह तभी संभव है जब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक चैनलाइज्ड मार्ग हो।

इस प्रकार यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत में महिला सशक्तिकरण एक गर्मागर्म चर्चा का विषय है, तथा इसका कोई वास्तविक समाधान नजर नहीं आता, सिवाय इसके कि हमें अपने

प्रयासों को दोगुना करना होगा तथा महिलाओं के प्रति सभी हिंसा और दुर्भावना के स्रोतों पर निशाना साधना जारी रखना होगा।

भारत में महिला सशक्तिकरण विकास के लिए सबसे प्रभावी साधन है क्योंकि इन दिनों दुनिया भर में महिलाएँ सक्रिय रूप से एक नेता के रूप में काम कर रही हैं और जीवन के सभी क्षेत्रों में दूसरों से आगे निकल रही हैं। जब पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से अविश्वसनीय रूप से मुक्ति पाने के लिए हर दिन प्रार्थना कर रही है, तो ये महिला राज्यपाल और इन अद्भुत हस्तियों द्वारा संचालित राष्ट्र ही हैं जो जिम्मेदारी संभाल रही हैं और जहाँ भी आवश्यकता हो, अकेले ही लड़ाई में आगे बढ़ रही हैं।

साहित्य की समीक्षा

राठौड़, सूर्या और कौर, मनमीत। (2023)। ग्रामीण समाज में शिक्षा, ज्ञान, पोषण, तकनीकी हस्तक्षेप, राजनीतिक भागीदारी और कानूनी मुद्दों का ज्ञान नारीवाद और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक शर्तें हैं। यह सब लैंगिक सशक्तिकरण की ओर ले जाएगा जो निस्संदेह राष्ट्र के विकास के लिए एक साधन है। हम वंचित लोगों को समझकर और उन्हें उद्यमिता विकास और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में बेहतर प्रदर्शन सहित सशक्तिकरण के सभी पहलुओं में मुख्यधारा में लाकर ऐसा कर सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, तकनीकी सशक्तिकरण, पंचायती राज व्यवस्था जैसे राजनीतिक सशक्तिकरण साधनों, उद्यमिता के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण आदि में महिलाओं की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का आकलन करना और उनका विकास करना समय की मांग है।

एहसनिफ़र, तहमीनेह और घनबार, मोहम्मदी और इलियासी, घनबार और शाहमोरादी, मोहना। (2024) नए विचारों को बढ़ावा देने के रूप में उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संयोजित करने के साथ-साथ आर्थिक क्षेत्रों में काम करने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने से ग्रामीण महिलाओं के ज्ञान और जागरूकता के स्तर में वृद्धि होती है और उनकी क्षमताओं और योग्यताओं के बारे में यथार्थवादी ज्ञान प्राप्त होता है। इससे उनके सामाजिक उत्थान के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध होने की उम्मीद है। तदनुसार, इन दोनों अवधारणाओं (शिक्षा और सशक्तिकरण) के एक साथ अनुप्रयोग पर आगे के अध्ययन और सटीक और व्यापक शोध करना पूरक, आवश्यक और अनिवार्य है। भविष्य के शोध ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने, उद्यमिता शिक्षा मॉडल को डिजाइन करने और इसे लागू करने और संचालन करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

पी., वैष्णवी और बी., अरुलमणिकंदन। (2022)। 2021 में भारत में केवल 65.8% महिलाएँ साक्षर होंगी, जबकि पुरुषों में यह संख्या 82.4 प्रतिशत है। भारत में केवल 12.7% संपत्तियाँ महिलाओं के स्वामित्व में हैं, जबकि 77 प्रतिशत भारतीय महिलाएँ अपनी आय के मुख्य स्रोत के रूप में कृषि पर निर्भर हैं। ऐसा इस धारणा के कारण है कि महिलाओं को काम करने के बजाय घर पर रहकर अपने परिवार और बच्चों की परवरिश करनी चाहिए। भारत में कुल कार्यबल का लगभग 54.6% कृषि और संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों में कार्यरत है। कृषि और संबंधित उद्योगों

में महिलाएँ उत्पादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उच्च गुणवत्ता वाली वयस्क शिक्षा और प्रशिक्षण तक महिलाओं की सीमित पहुंच उनके सतत विकास में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक हैं क्योंकि वे किसान, आय अर्जित करने वाली और व्यवसाय की मालिक हैं। ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के अवसर देकर, हम समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं जिससे सभी को लाभ हो। कीवर्ड: ग्रामीण महिलाएँ, कृषि, महिला सशक्तिकरण, सामुदायिक विकास।

मोरालेस, एना और ओटिनियानो लियोन, माबेल और बेसेरा, तातियाना और अराना, फॉस्टा और चावेज़, पाब्लो और रामोस फ़ारोनन, एम्मा। (2023)। अनुसंधान का उद्देश्य पेरू के उत्तरी भाग में स्थित एक निजी विश्वविद्यालय द्वारा लागू विश्वविद्यालय सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण आबादी में महिलाओं के सशक्तीकरण पर काम करना था। पूर्व-परीक्षण और पश्च-परीक्षण के साथ अर्ध-प्रायोगिक डिजाइन का एक मात्रात्मक अध्ययन एकल समूह में किया गया था, जहां चेपेन और पकासमायो प्रांतों के ग्रामीण क्षेत्रों से 18 से 65 वर्ष की आयु के बीच 35 महिलाओं ने भाग लिया था। "टी स्टूडेंट" सांख्यिकीय परीक्षण का इस्तेमाल किया गया था और परिणाम दिखाते हैं कि यूएसआर कार्यक्रम के आवेदन से पहले, 89% महिलाएँ सशक्तीकरण के मध्यम स्तर और 11% उच्च स्तर पर पहुंच गई थीं, और यूएसआर कार्यक्रम के आवेदन के बाद 43% ने मध्यम स्तर और 57% ने उच्च स्तर हासिल किया। यह निष्कर्ष निकाला गया कि भागीदारी, लापरवाही, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक संतुष्टि और सुरक्षा के आयामों के साथ-साथ कंप्यूटर उपकरणों के प्रबंधन के संबंध में यूएसआर कार्यक्रम के आवेदन के साथ महिलाओं के सशक्तीकरण में सुधार हुआ महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में सुधार, नेतृत्व की भूमिका और सामाजिक न्याय की प्राप्ति में योगदान देना।

केएस, योगिता और श्रीनिवास, सागर और महाले, प्रसाद। (2023) भारत इस नियम का अपवाद नहीं है कि राष्ट्रों की उन्नति के लिए महिलाएँ महत्वपूर्ण हैं। राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, अर्थव्यवस्था और सामाजिक परिवर्तन जैसे विकास के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं का योगदान और सक्रिय भागीदारी समय के साथ महत्वपूर्ण होती गई है। भारत के विकास में महिलाओं द्वारा किए गए विभिन्न योगदानों को बेहतर ढंग से समझने के लिए, यह शोध पत्र उनकी उपलब्धियों, बाधाओं और उनकी भागीदारी और प्रभाव को बढ़ाने के लिए आवश्यक नीतियों पर प्रकाश डालेगा। यह लेख शोध, सांख्यिकी और केस स्टडी के विश्लेषण के माध्यम से भारत की सफलता और भविष्य की विकास पहलों के निहितार्थों को निर्धारित करने में महिलाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की विस्तृत समीक्षा प्रदान करता है।

उपरोक्त नीति अर्थात एनपीईडब्ल्यू के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत द्वारा कई महिला सशक्तीकरण योजनाएं तैयार की गई हैं। इनमें से कुछ योजनाएं इस प्रकार हैं:

a) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना:

इसे 22 जनवरी, 2015 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा बालिकाओं के जीवन, सुरक्षा और शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च किया गया था। बीबीबीपी तीन मंत्रालयों- महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और मानव संसाधन विकास का एक संयोजन है। इसका मुख्य उद्देश्य लिंग आधारित भेदभाव को दूर करने, बालिकाओं की सुरक्षा करने और उन्हें शिक्षा प्रदान करने और उनकी भागीदारी को सक्षम बनाने में मदद करना है।

b) वन स्टॉप सेंटर योजना:

1 अप्रैल, 2015 को शुरू की गई इस हेल्पलाइन का उद्देश्य निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर हिंसा से पीड़ित महिलाओं को 24 घंटे तत्काल और आपातकालीन सहायता प्रदान करना है। देश भर में महिलाओं को एक समान नंबर के माध्यम से एकीकृत सहायता और सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में महिला हेल्पलाइन (WHL) की स्थापना की गई है। इन केंद्रों को अन्य मौजूदा हेल्पलाइनों के साथ 181 के साथ एकीकृत किया जाएगा।

c) महिला हेल्पलाइन योजना:

यह 1 अप्रैल, 2015 को लागू हुआ। इसका उद्देश्य निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को 24 घंटे तत्काल और आपातकालीन प्रतिक्रिया देना है। देश भर में महिलाओं को एक समान नंबर के माध्यम से एकीकृत सहायता और सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में महिला हेल्पलाइन (WHL) की स्थापना की गई है। टोल फ्री महिला हेल्पलाइन नंबर 181 को अप्रतिबंधित (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कहीं से भी सुलभ) के रूप में परिभाषित किया गया है।

d) उज्वला (1 अप्रैल 2016):

यह तस्करी की रोकथाम और तस्करी तथा व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए एक व्यापक योजना है: इस योजना को राज्य सरकार के समाज कल्याण/महिला एवं बाल कल्याण विभाग, महिला विकास निगम, महिला विकास केंद्र, शहरी स्थानीय निकाय, प्रतिष्ठित सार्वजनिक/निजी ट्रस्ट या स्वैच्छिक संगठनों जैसी एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। एजेंसी को कानून के तहत पंजीकृत होना चाहिए और उसके पास एक उचित रूप से गठित प्रबंध निकाय होना चाहिए, जिसकी शक्तियाँ, कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ स्पष्ट रूप से परिभाषित और उसके संविधान में निर्धारित हों।

e) कामकाजी महिला छात्रावास योजना:

भारत सरकार ने 1972-73 में शहरों, छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं को छात्रावास की सुविधा प्रदान करने के लिए नए भवनों के निर्माण/मौजूदा भवनों के विस्तार के लिए अनुदान सहायता की एक योजना शुरू की थी, जहाँ महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं। इस योजना को कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर आवास

की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए संशोधित किया गया है, जिन्हें पेशेवर प्रतिबद्धताओं के कारण अपने परिवारों से दूर रहना पड़ता है। नई योजना 6 अप्रैल, 2017 को शुरू की गई थी।

f) स्वाधार गृह (कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए एक योजना):

यह योजना कठिन परिस्थितियों की शिकार महिलाओं को लक्षित करती है जिन्हें पुनर्वास के लिए संस्थागत सहायता की आवश्यकता होती है ताकि वे सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें। इस योजना का उद्देश्य पीड़ित महिलाओं को आश्रय, भोजन, कपड़े और स्वास्थ्य के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

g) नारी शक्ति पुरस्कार:

यह "महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा व्यक्तिगत महिलाओं या महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली संस्थाओं को दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है"। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है।

ज) स्त्री शक्ति पुरस्कार, 2014 के पुरस्कार विजेता: भारत सरकार ने 5 राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किए हैं जिन्हें 'स्त्री शक्ति पुरस्कार' कहा जाता है - यह सामाजिक विकास के क्षेत्र में व्यक्तिगत महिलाओं की उपलब्धियों को मान्यता देने का एक उपाय है। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपये का नकद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र शामिल है। ये पुरस्कार भारत के इतिहास की प्रख्यात महिला हस्तियों के नाम पर दिए जाते हैं, जैसे देवी अहिल्या बाई होल्कर, कन्नगी, माता जीजाबाई, रानी गाड्डेनलू जेलियांग और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार।

i) राज्य महिला सम्मान और जिला महिला सम्मान के पुरस्कार विजेता:

वर्ष 2015 से यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। ये पुरस्कार समुदाय और जमीनी स्तर पर असाधारण और प्रतिबद्ध महिलाओं द्वारा किए गए निस्वार्थ कार्य को मान्यता प्रदान करेंगे और पुरस्कृत करेंगे। प्रत्येक जिले में एक पुरस्कार और प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में एक पुरस्कार दिया जाएगा।

जे) महिला पुलिस स्वयंसेवक:

"वे पुलिस और समुदाय के बीच एक कड़ी के रूप में काम करेंगे और संकट में फंसी महिलाओं की सहायता करेंगे। एमपीवी का चयन संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के गृह विभाग द्वारा जिले के पुलिस अधीक्षक के माध्यम से किया जाएगा। एमपीवी सीधे पुलिस थाने में सर्किल इंस्पेक्टर को रिपोर्ट करेगा।"

k) महिला शक्ति केंद्र (MSK):

"सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना और ऐसा माहौल बनाना जिसमें वे अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकें। यह ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकारों का लाभ उठाने के लिए सरकार से संपर्क करने के लिए एक इंटरफ़ेस प्रदान करेगा और प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से उन्हें सशक्त भी बनाएगा।"

एल) निर्भया फंड:

"महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा में सुधार के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई परियोजनाओं के लिए। यह एक गैर-व्यपगत कॉर्पस फंड है, जिसका प्रबंधन वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा किया जाता है।"

उपरोक्त योजनाओं के अलावा, भारत सरकार ने महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम (STEP) को समर्थन देने जैसी कई अन्य योजनाएँ भी शुरू की हैं, जिसका उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाली उन गरीब महिलाओं की स्थिति को संबोधित करना है जो कौशल प्रशिक्षण के लिए अपने मूल स्थान से बाहर जाने में सक्षम नहीं हैं। इससे महिलाओं को स्वरोजगार करने में मदद मिलेगी। भारत सरकार ने 2020 तक 500 मिलियन व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई है।

दूसरी ओर, भारत सरकार ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करने की कोशिश की है। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) का संस्थापक सदस्य है और इसने लगभग 47 प्रोटोकॉल और सम्मेलनों की पुष्टि भी की है। इसने 1980 में महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन (CEDAW) पर हस्ताक्षर किए और 1993 में इसकी पुष्टि की। इसने अभी तक CEDAW के वैकल्पिक प्रोटोकॉल और महिलाओं, शांति और सुरक्षा पर राष्ट्रीय कार्य योजना की पुष्टि नहीं की है।

इन प्रयासों के बावजूद, लैंगिक समानता के वैश्विक सर्वेक्षणों में इसकी रैंकिंग में पिछले कुछ वर्षों में कोई सुधार नहीं हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के अनुसार, भारत 156 देशों में 140वें स्थान पर है (वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम, 2021)। लैंगिक अंतर पर कम रैंकिंग को देखते हुए, भारत को राजनीतिक सशक्तीकरण की दिशा में काम करना होगा जो अपेक्षाकृत कम है और साथ ही आर्थिक सशक्तीकरण जो 2006 से बढ़ा है (कपूर और नारायण 2020)। भ्रष्टाचार और कानून के खराब क्रियान्वयन के कारण महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के मामले में भारतीय कानूनी व्यवस्था भी लड़खड़ाती हुई देखी गई है। इसलिए, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा और प्रतिनिधित्व - राजनीतिक और आर्थिक - तक उचित और समान पहुँच के माध्यम से महिला सशक्तीकरण सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक और अधिक सहयोगी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

भारत में महिला सशक्तीकरण और लैंगिक समानता के लिए संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान में महिला सशक्तीकरण के लिए कई प्रावधान हैं। इनमें से कुछ प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित शीर्षकों में देखे जा सकते हैं:

मौलिक अधिकार

- **अनुच्छेद 14** महिलाओं सहित सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है।
- **अनुच्छेद 15(1)** केवल लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।
- **अनुच्छेद 15(3)** यह राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव करने की अनुमति देता है ताकि उनकी सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक असुविधा को कम किया जा सके।
- **अनुच्छेद 16** राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति या रोजगार के मामले में महिलाओं सहित सभी नागरिकों के लिए समान अवसर का प्रावधान करता है। यह राज्य के अधीन किसी भी पद या रोजगार के लिए केवल लिंग के आधार पर भेदभाव या अयोग्य ठहराए जाने पर भी रोक लगाता है।
- **अनुच्छेद 21** संविधान, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है, अपने दायरे में कई अधिकार शामिल करता है, जिसमें महिलाओं के साथ शालीनता और सम्मान के साथ व्यवहार करने का अधिकार भी शामिल है।
- **अनुच्छेद 23** यह कानून मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है, जिसमें महिलाओं की खरीद-फरोख्त, महिलाओं की अनैतिक तस्करी, वेश्यावृत्ति आदि शामिल हैं।

राज्य नीतियों के निर्देशक सिद्धांत

- **अनुच्छेद 39** राज्य को पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।
- **अनुच्छेद 42** राज्य को काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थिति तथा मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करने का निर्देश देता है।
- **अनुच्छेद 44** यह विधेयक राज्य को निर्देश देता है कि वह पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करे। ऐसी संहिता महिलाओं को विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि जैसे व्यक्तिगत मामलों में समान अधिकार सुनिश्चित करेगी।
- **अनुच्छेद 45** यह विधेयक राज्य को निर्देश देता है कि वह सभी बच्चों, जिनमें बालिकाएं भी शामिल हैं, को छह वर्ष की आयु तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करे।

मौलिक कर्तव्य

- **अनुच्छेद 51** एह विधेयक प्रत्येक नागरिक पर महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करने का मौलिक कर्तव्य डालता है।
- **अनुच्छेद 51** एह विधेयक प्रत्येक माता-पिता/संरक्षक पर यह मौलिक कर्तव्य भी डालता है कि वे अपने छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

अन्य संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 243** डीपंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।
- **अनुच्छेद 243** टीशहरी स्थानीय निकायों के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।
- **नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण अधिनियम) 2023** [128वें संविधान संशोधन अधिनियम] ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिला आरक्षण के लिए तीन नए अनुच्छेद जोड़े हैं
 - **अनुच्छेद 239** एएदिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान
 - **अनुच्छेद 330** एलोकसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान
 - **अनुच्छेद 332** एराज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।

भारत में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए सरकारी योजनाएँ

भारत में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। भारत में प्रमुख महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों की चर्चा नीचे की गई है:

महिलाओं का समग्र सशक्तिकरण

- **महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति** इसका उद्देश्य महिलाओं की समग्र उन्नति, विकास और सशक्तिकरण लाना है।
- **राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन (एनएमईडब्ल्यू)** इसका उद्देश्य महिलाओं के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली समग्र प्रक्रियाओं को मजबूत करना है।
- **लिंग बजट** लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत में जेंडर बजटिंग लागू की जा रही है।

महिलाओं का सामाजिक-सांस्कृतिक सशक्तिकरण

- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना (बीबीबीपी)** इसका उद्देश्य बाल लिंग अनुपात में सुधार लाना तथा बालिकाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है।
- **माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना (एनएसआईजीएसई)**: इसका उद्देश्य माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन को बढ़ावा देना तथा 18 वर्ष की आयु तक उनका विद्यालय में बने रहना सुनिश्चित करना है।
- **प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई)** महिलाओं और लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने में मदद करता है।
- **वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)**: ये केंद्र हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत सहायता सेवाएं प्रदान करते हैं।
- **निर्भया फंड** यह कोष महिलाओं की सुरक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से की गई पहलों को समर्थन देने के लिए स्थापित किया गया है।

महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण

- **स्टैंड अप इंडिया योजना** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं को बैंक ऋण उपलब्ध कराकर उनमें उद्यमशीलता को बढ़ावा देना।
- **प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)** महिलाओं को बुनियादी बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देना, इस प्रकार उनके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।
- **महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम को समर्थन (एसटीईपी)** इसका उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार/उद्यमी बनने में सक्षम बनाने के लिए कौशल प्रदान करना है।
- **महिला ई-हाट**: महिला उद्यमियों के लिए एक ऑनलाइन विपणन मंच।

महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण

- **प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम** सरकार और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा की गई विभिन्न पहलों का उद्देश्य महिलाओं को प्रभावी राजनीतिक भागीदारी के लिए कौशल और ज्ञान से लैस करना है।
- **महिला नेतृत्व विकास कार्यक्रम** एनआईआरडी एंड पीआर (राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान) जैसी सरकारी एजेंसियां महिलाओं को कौशल निर्माण कार्यक्रम प्रदान करती हैं, जो नेतृत्व और राजनीतिक भागीदारी विकसित करने पर केंद्रित होते हैं।

महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों (डब्ल्यूईआर) की सामूहिक भूमिका स्थानीय भागीदारी के लिए एक सशक्त साधन है

गांव की स्वच्छता की एक पहल

गुरनावत गांव में अपशिष्ट जल निपटान सुविधाओं का अभाव एक आम समस्या थी। अपशिष्ट जल निपटान सुविधाओं के अभाव के कारण गंदा पानी सड़कों पर बह रहा था, जिससे सड़कें गंदी हो रही थीं। महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों (WER) ने अपशिष्ट जल निपटान सुविधाएं बनाने की पहल की। उन्होंने गांव की सरपंच दयावती से संपर्क किया और गंदगी के कारण ग्रामीणों को नियमित रूप से होने वाली समस्या के बारे में बताया। सरपंच ने सहयोग किया, सचिव से मुलाकात की और महिलाओं की बात सुनी। एक महीने के भीतर ही नौ सोखता गड्डों के निर्माण के लिए धनराशि मंजूर कर दी गई। धनराशि मंजूर होने के तुरंत बाद, गांव में सोखता गड्डों के निर्माण के लिए क्षेत्रों की पहचान करने के लिए WER के बीच एक बैठक आयोजित की गई। गर्भवती महिलाओं और बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि सड़कें गंदे पानी से भरी थीं

ग्रामीणों के अनुसार, सोखता गड्डों के निर्माण से गंदगी कम करने में मदद मिली सड़कों पर। हालाँकि स्कूल में गंदे पानी की निकासी के लिए एक सोखता था, लेकिन यह स्कूल के लिए पर्याप्त नहीं था और पूरे स्कूल परिसर में हमेशा गंदा पानी भरा रहता था। स्कूल के शिक्षक ने बताया कि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए पाँच सोखता गड्डों ने निपटान की समस्या को हल कर दिया है और मच्छरों के प्रजनन को भी काफी हद तक नियंत्रित किया है, और अब यह क्षेत्र साफ-सुथरा और स्वच्छ लगता है।

स्कूल में हैंडपंप लगाया गया

पानी जीवन के लिए ज़रूरी है। उट्टोन गांव के प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएँ भी नहीं थीं। पिछले चार सालों से एक स्कूल में बोरवेल खराब पड़ा था। बच्चे घर से पानी की बोतलें लेकर आते थे। स्कूल के रसोइए को खाना बनाने और बर्तन साफ करने के लिए पानी लाना मुश्किल हो गया था। इसलिए, स्कूल के नज़दीक रहने वाले परिवारों ने मिड-डे मील पकाने के लिए पानी का इंतज़ाम किया।

इस चुनौती पर स्कूल के शिक्षकों के साथ WER सत्र में चर्चा की गई, जहाँ उन्हें पता चला कि स्कूल के पास हैंडपंप लगाने के लिए कोई धन नहीं है। अगले कुछ दिनों में, स्कूल में पीने के पानी की अनुपलब्धता के कारण छात्रों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में सभी WER सदस्यों, सरपंच और स्कूल अधिकारियों के बीच बैठकें और चर्चाएँ हुईं। सरपंच ने आश्वासन दिया कि स्कूल को हैंडपंप के निर्माण के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाएगा। जून 2019 में स्कूल में हैंडपंप लगाया गया स्कूल के शिक्षकों की सहायता से अब शिक्षक और छात्र हैंडपंप से स्वच्छ पेयजल की निःशुल्क उपलब्धता से संतुष्ट हैं। छात्रों के अभिभावकों ने भी महसूस किया कि मुख्य रूप से गांव में महिला समूहों की पहल के कारण ही स्कूल में पानी की समस्या का समाधान हुआ है।

उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण

गांव खरखरी में स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण ग्रामीणों को छोटी-छोटी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों और टीकाकरण के लिए ब्लॉकों का चक्कर लगाना पड़ता था। महिला प्रतिनिधियों से चर्चा में पता चला कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा और एएनएम समेत सभी सेवाओं को संचालित करने के लिए गांव में आंगनबाड़ी केंद्र छोटा है। इसलिए गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को सेवाओं का लाभ उठाने के लिए ताओरू गांव जाना पड़ता है। सरपंच ने गांव की समस्या को समझा और 2016 में गांव में उप-स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण का प्रस्ताव रखा। लेकिन अनुमति नहीं मिली। 2019 में डब्ल्यूईआर के गठन के बाद उप-स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण की पहल महिला प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई पहली आम समस्या थी।

इन महिला प्रतिनिधियों ने WER की ओर से एक बार फिर सरपंच से संपर्क किया, सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर के साथ एक आवेदन तैयार किया और उसे सरपंच को सौंप दिया। इसके बाद सरपंच ने उप-स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए पंचायत की एक एकड़ जमीन आवंटित की। एसएम सहगल फाउंडेशन की शोध टीम ने कार्यवाही पर चर्चा करने के लिए सरपंच से मुलाकात की। गांव के विकास के लिए WER के गुणवत्तापूर्ण काम, खासकर गांव में उप-स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण के लिए महिला प्रतिनिधियों द्वारा की गई पहल की सरपंच ने काफी सराहना की।

एसएम सहगल फाउंडेशन एक ग्रामीण विकास एनजीओ है जो बीस से अधिक वर्षों से भारत में ग्रामीण समुदायों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है। इस दृष्टिकोण से प्रेरित होकर कि प्रत्येक व्यक्ति अधिक सुरक्षित, समृद्ध और सम्मानजनक जीवन जीने का हकदार है, इसने ग्रामीण भारत में सकारात्मक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय परिवर्तन प्राप्त करने के लिए समुदाय-नेतृत्व वाली विकास पहलों को मजबूत करने के मिशन पर काम करना शुरू किया है।

एसएम सहगल फाउंडेशन ग्रामीण भारत की जल प्रबंधन, कृषि विकास, स्थानीय भागीदारी और स्थिरता, स्कूल परिवर्तन और विकास के लिए आउटरीच जैसी सबसे ज़रूरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कार्यक्रमों का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है। इस प्रकार, एसएम सहगल फाउंडेशन ग्रामीण भारत में स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर उनकी समस्याओं को समझने और उन्हें दूर करने के लिए काम करता है। हर प्रयास में पूरे समुदाय में समावेश और लैंगिक भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए सर्वांगीण विकास हासिल करने के लिए, एसएम सहगल फाउंडेशन अपने सभी कार्यक्रमों में समावेशिता सुनिश्चित करके लैंगिक समानता का समर्थन करता है।

भारत में महिलाओं के लिए चुनौतियाँ

भारत एक समृद्ध राष्ट्र है सांस्कृतिक विविधता और इतिहास, प्रगति और विकास के लिए कोई अजनबी नहीं है। हालाँकि, इस प्रगति के ताने-बाने में चुनौतियों के जटिल धागे बुने हुए हैं जिनका सामना महिलाएँ करती रहती हैं। इस व्यापक खोज में, हम भारत में महिलाओं के सामने आने वाली बहुआयामी बाधाओं पर गहराई से विचार करते हैं, जिनमें शैक्षिक असमानताएँ और

कार्यस्थल असमानता से लेकर सामाजिक मानदंड और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ शामिल हैं। जैसे-जैसे हम इन चुनौतियों का समाधान करते हैं, हमारा उद्देश्य मौजूदा मुद्दों की गहरी समझ को बढ़ावा देना और अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज बनाने के लिए आवश्यक परिवर्तनों की वकालत करना है।

भारत में महिलाओं के अधिकारों के मुद्दों पर वर्तमान में कई चुनौतियाँ हैं। बहुत से मुद्दे निरर्थक और काफी बुनियादी हैं जिनका सामना पूरे देश में किया गया है; वे भारत में महिलाओं की व्यापक स्थिति के लिए योगदान देने वाले कारण हैं। इन मुद्दों को लक्षित करने से भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण को सीधे लाभ होगा।

• शिक्षा

जबकि देश ने अपनी स्वतंत्रता के बाद से छलांग और सीमा से आगे बढ़कर विकास किया है, लेकिन महिलाओं और पुरुषों की शिक्षा के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। भारत में 82.14% वयस्क शिक्षित पुरुषों की तुलना में केवल 65.46% वयस्क साक्षर महिलाएँ हैं। इसके अतिरिक्त, संस्कृति का मानदंड जो कहता है कि परिवार का पुरुष ही परिवार के निर्णयों का अंतिम और अंतिम निर्णय है, धीरे-धीरे भारतीय समाज को खराब कर रहा है। इस अंतर को मिटाना और महिलाओं को दुनिया में उनके वास्तविक स्थान के बारे में शिक्षित करना एक ऐसा कदम है जो इस पूरे आंदोलन को ढहा देगा और असहिष्णुता, उपेक्षा और शोषण की दीवार को तोड़ देगा। शिक्षा के क्षेत्र में भारत की प्रगति के बावजूद, लिंग आधारित असमानताएँ बनी हुई हैं। कई लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच एक चुनौती बनी हुई है, क्योंकि समाज में गहरी जड़ें जमाए हुए मानदंड, आर्थिक बाधाएँ और कुछ क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे की कमी है। पारंपरिक मानसिकता जो महिला शिक्षा की तुलना में पुरुष शिक्षा को प्राथमिकता देती है, उसे खत्म किया जाना चाहिए। शिक्षा में लिंग अंतर को कम करने के लिए बुनियादी ढाँचे के विकास, जागरूकता अभियान और छात्रवृत्ति सहित कार्यक्रम आवश्यक हैं।

• देश में गरीबी

गरीबी को दुनिया में शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है, और गरीबी उन्मूलन एक राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिए, जो निरक्षरता के उन्मूलन जितना ही महत्वपूर्ण है। गरीबी के कारण, महिलाओं को घरेलू नौकरानियों और पत्नियों के रूप में शोषण किया जाता है, जिनकी आय घर के पुरुष हड़प लेते हैं। अगर गरीबी चिंता का विषय न होती, तो बालिकाएँ यौन शोषण, घरेलू दुर्व्यवहार और बिना शिक्षा या काम की चिंता के अपने सपनों को पूरा कर पातीं।

• कार्यस्थल असमानता:

भारत में पेशेवर क्षेत्र में अक्सर लैंगिक पूर्वाग्रह गहराई से समाया हुआ दिखाई देता है। महिलाओं को अक्सर असमान वेतन, सीमित करियर विकास के अवसर और कार्यस्थल पर उत्पीड़न जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रतिमान बदलने के लिए न केवल नीतिगत बदलाव की आवश्यकता है, बल्कि कार्यबल में महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में भी बदलाव की

आवश्यकता है। कंपनियों को विविधता और समावेशन पहलों को अपनाना चाहिए, जिससे समान अवसर प्रदान किए जा सकें महिलाओं के लिए अवसर अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए।

- **महिलाओं के विरुद्ध हिंसा:**

भारत महिलाओं के खिलाफ हिंसा के व्यापक मुद्दे से जुड़ा रहा है, जिसमें घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और उत्पीड़न शामिल हैं। जबकि कानूनी ढांचे मौजूद हैं, चुनौती उनके प्रभावी कार्यान्वयन में है। जागरूकता पैदा करना, सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देना और त्वरित न्याय सुनिश्चित करना अनिवार्य कदम हैं। पीड़ितों और बचे लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन और परामर्श सेवाओं जैसी सहायता प्रणालियों को मजबूत करने की आवश्यकता है।

- **बाल विवाह और दहेज प्रथा:**

बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी गहरी जड़ें जमा चुकी सांस्कृतिक प्रथाएँ युवा लड़कियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती रहती हैं। इन प्रथाओं को खत्म करने के लिए व्यापक सामाजिक प्रयासों की आवश्यकता है, जिसमें शैक्षिक कार्यक्रम, कानूनी सुधार और सामुदायिक भागीदारी शामिल है। शिक्षा के माध्यम से युवा लड़कियों को सशक्त बनाना और कौशल इन हानिकारक परंपराओं को बाधित कर सकते हैं।

- **स्वास्थ्य देखभाल असमानताएँ:**

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को अक्सर अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में अपर्याप्त जागरूकता का सामना करना पड़ता है। इन अंतरालों को पाटने के लिए स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे, शिक्षा को बढ़ाने और लिंग-संवेदनशील स्वास्थ्य नीतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। मातृ स्वास्थ्य सेवा, परिवार नियोजन और जागरूकता अभियानों पर ध्यान केंद्रित करने वाली पहल महिलाओं के स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने में योगदान दे सकती है।

- **राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम:**

जबकि भारत में सफल महिला नेताओं का उदय हुआ है, महिलाओं का समग्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व अभी भी अनुपातहीन रूप से कम है। अधिक समावेशी और प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिए राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। आरक्षित सीटें, मेंटरशिप कार्यक्रम और जागरूकता अभियान राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ा सकते हैं।

- **मीडिया प्रभाव और रूढ़िबद्धता:**

मीडिया सामाजिक धारणाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महिलाओं को अक्सर रूढ़िबद्ध और वस्तु के रूप में देखा जाता है, जो हानिकारक लिंग मानदंडों को मजबूत करने में योगदान देता है। महिलाओं के सकारात्मक चित्रण को बढ़ावा देना और रूढ़िवादिता को

चुनौती देना सामाजिक परिवर्तन के लिए आवश्यक है। मीडिया संगठनों को ऐसे नैतिक मानकों को अपनाना चाहिए जो लैंगिक समानता और विविधता को बढ़ावा दें।

- **साइबर सुरक्षा चिंताएं:**

बढ़ते डिजिटलीकरण के साथ, महिलाओं को ऑनलाइन सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। साइबरबुलिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और इन चिंताओं को दूर करने के लिए डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन उत्पीड़न से निपटने के लिए कानूनी ढाँचे को मजबूत किया जाना चाहिए, और डिजिटल सुरक्षा पर शैक्षिक कार्यक्रमों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।

- **मासिक धर्म से संबंधित वर्जनाएं और स्वच्छता सुविधाओं का अभाव:**

भारत के विभिन्न भागों में मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाएँ बनी हुई हैं, जिससे महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच प्रभावित हो रही है। इसके अतिरिक्त, अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाएँ इन चुनौतियों को और भी जटिल बना देती हैं। मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देना और वर्जनाओं को खत्म करना महत्वपूर्ण कदम हैं। शैक्षिक कार्यक्रम, जागरूकता अभियान और मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के लिए बेहतर बुनियादी ढाँचा मासिक धर्म से जुड़ी चुप्पी को तोड़ने में योगदान दे सकता है।

- **स्वास्थ्य और सुरक्षा**

महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा की चिंता किसी भी देश की भलाई के लिए सर्वोपरि है, और किसी देश में महिलाओं के सशक्तिकरण को मापने में महत्वपूर्ण कारक हैं। हालाँकि मातृ स्वास्थ्य सेवा के मामले में चिंताजनक चिंताएँ हैं। हालाँकि देश में सरकार और कई गैर सरकारी संगठनों द्वारा कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, फिर भी सुरक्षा के दायरे में आने वालों और सुरक्षा के दायरे में न आने वालों के बीच एक बड़ा अंतर मौजूद है। गरीबी और अशिक्षा इन जटिलताओं को और बढ़ा देती है, क्योंकि स्थानीय झोलाछाप डॉक्टर महिलाओं की समस्याओं के लिए अप्रभावी और बिल्कुल हानिकारक उपचार देते हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा की गारंटी से शुरू होता है।

निष्कर्ष

परिणामों को एक-नमूना परीक्षण के माध्यम से जनसंख्या माध्य को एक परिकल्पित मान के रूप में लेकर जांचा गया था। लेकिन प्रत्येक मामले में शून्य परिकल्पना को खारिज कर दिया गया है, जिसका अर्थ है कि जनसंख्या का दृष्टिकोण नमूना दृष्टिकोण से काफी भिन्न पाया गया है। उत्तरदाता इस बात के पक्ष में हैं कि सामाजिक बुनियादी ढाँचे में सामाजिक-आर्थिक मापदंडों के बदलते आयामों के साथ सहमत होकर सुधार हो रहा है जिसमें गरीबी उन्मूलन, स्थानीय बेरोजगारी, शिक्षा जागरूकता और स्वास्थ्य समस्याओं में कमी शामिल है।

संदर्भ

1. राठौर, सूर्या और कौर, मनमीत. (2023). ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना: तरीके और रणनीतियाँ. 10.59317/9789395319638.
2. एहसानिफ़ार, तहमीनेह और घनबार, मोहम्मदी और इलियासी, घनबार और शाहमोरादी, मोहना। (2024)। उद्यमिता शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना; एक व्यवस्थित समीक्षा।
3. पी., वैष्णवी और बी., अरुलमणिकंदन (2022)। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना: कृषि क्रांति का भविष्य।
4. मोरालेस, एना और ओटिनियानो लियोन, माबेल और बेसेरा, तातियाना और अराना, फौस्ता और चावेज़, पाब्लो और रामोस फ़ारोनन, एम्मा। (2023)। सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण आबादी में महिलाओं का सशक्तिकरण। जर्नल ऑफ़ एजुकेशनल एंड सोशल रिसर्च। 13. 13. 10.36941/jesr-2023-0144।
5. के.एस., योगिता और श्रीनिवास, सागर और महाले, प्रसाद। (2023)। भारत में महिला सशक्तिकरण के बहुआयामी मार्ग का विश्लेषण। 16. 509-518।
6. भारत में शिक्षण मानकों को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदम: मानव संसाधन विकास मंत्री, यहां से उपलब्ध <http://bweducation.businessworld.in/article/15-Initiatives-Taken-By-Central-Government-To-Improve-Teaching-Standards-In-India-HRD-Minister/26-06-2019-172435/>.
7. साक्षर भारत मिशन, भारत, से उपलब्ध है <https://uil.unesco.org/case-study/प्रभावी-प्रेक्टिस-डेटाबेस-लिटबेस-0/साक्षर-भारत-मिशन-इंडिया>.
8. लीब्रांट, आई. रीडिंग और राइटिंग कोर्स में लर्निंग प्लेटफॉर्म का उपयोग। रेविस्टा डिजिटल यूनिवर्सिटीरिया, 2008; 9(2): 3-12.
9. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार। शैक्षिक सांख्यिकी एक नज़र में; 2018, https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/statistics-new/ESAG-2018.pdf से उपलब्ध।
10. राज्य सभा-आधिकारिक रिपोर्ट, <https://cms.rajyasabha.nic.in/UploadedFiles/Debates/OfficialDebatesDatewise/Floor/217/F27.07.2009.pdf> पर उपलब्ध है।
11. श्याम बाबू, ए. बालिका ड्रॉपआउट पर एक विश्लेषणात्मक अध्ययन, विशाखापत्तनम

जिले में ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र के स्कूलों का तुलनात्मक विश्लेषण। (अप्रकाशित डॉक्टरेट शोध प्रबंध), आंध्र विश्वविद्यालय; 2019।

12. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार। वार्षिक रिपोर्ट, 2003-04; 2004, <https://wcd.nic.in/sites/default/files/AR2003-04.pdf> से उपलब्ध।

13. भासा विजयकुमार, एल. गुजरात राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का आलोचनात्मक अध्ययन, प्रचलित कानूनों के संदर्भ में। (अप्रकाशित डॉक्टरेट शोध प्रबंध), सौराष्ट्र विश्वविद्यालय; 2019।

14. अंबेडकर, आर. घरेलू उपभोक्ता बाजार में जेपीजी का विपणन, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में एचपीसीएल के संदर्भ में एक अध्ययन। (अप्रकाशित डॉक्टरेट शोध प्रबंध), आंध्र विश्वविद्यालय; 2019।

15. महिला सशक्तिकरण के लिए सरकारी नीतियां और योजनाएं, https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/258391/14/09_chapter%203.pdf पर उपलब्ध।